



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं. NCST/DEV-98/JH/4/2021-ESDW

दिनांक: 08.01.2023

सेवा में,

श्री सुरेश कुमार उराँव,
ग्राम-बसिया,
पोस्ट-थाना बालूमाथ,
जिला लातेहार-829202,
झारखण्ड


विषय: जातिगत भावना से प्रेरित होकर सी.सी.एल.द्वारा आवेदक का नाम कथित रूप से झूठे मनी सूट केस में डालने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार उराँव, ग्राम-बसिया, पोस्ट-थाना बालूमाथ, जिला लातेहार-829202, झारखण्ड का अभ्यावेदन।

महोदय,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 21.02.2023 को पूर्वाह्न 11:30 बजे, आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी